

राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023

जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान राज्य में मृत शरीर का सम्मान और उसके मूल मानव अधिकारों को बनाये रखने और उनसे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- 1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम, 2023 है।

2) इ सका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

3) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- 1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) [संहिता] से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) अभिप्रेत है;

(ख) [मृत शरीर] से किसी मृत मानव का शरीर अभिप्रेत है;

(ग) [जिला पुलिस अधीक्षक] से किसी पुलिस जिले का भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है और महानगर क्षेत्र के लिए इसमें पुलिस उपायुक्त सम्मिलित है;

(घ) [कुटुंब सदस्य] से ऐसा सदस्य जो मृतक से समरक्तता, विवाह या विवाह की प्रकृति में किसी नातेदारी, दत्तकग्रहण के माध्यम से संबंधित हों या अविभक्त कुटुंब के रूप में साथ रह रहा कोई कुटुंब सदस्य अभिप्रेत है;

- (ड) [अंतिम संस्कार] से उस समुदाय या धर्म की परंपरा या रूढ़ि, जिससे मृतक संबंधित था, के अनुसार मृत शरीर का निपटान अभिप्रेत है;
- (च) [विहित] से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (छ) [लोक प्राधिकारी] से मृत शरीर का अंतिम संस्कार संपादित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ज) [विरोध] से किसी अभ्यापत्ति, अवज्ञा, आंदोलन, प्रकोपन इत्यादि के द्वारा किसी मृत शरीर के अंतिम संस्कार को रोकने के लिए मांगें उठाना या किन्हीं मांगों को पूरा करने के लिए सताना अभिप्रेत है;
- (झ) [नियम] से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं; और
- (ञ) [राज्य] से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

2) इसमें प्रयुक्त किये गये और परिभाषित नहीं किये गये, किन्तु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2), भारतीय दण्ड संहिता, 1860 1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45), राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 2007 का अधिनियम सं. 14) और राजस्थान शारीर अधिनियम, 1986 1986 का अधिनियम सं. 12) में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमशः उन संहिताओं/ अधिनियमों में समनुदेशित किये गये हैं।

अध्याय-2

मृत व्यक्ति के अधिकार

3. अंतिम संस्कार का अधिकार.- प्रत्येक मृत व्यक्ति को, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथासंभव शीघ्र, उसके समुदाय या धर्म की ज्ञात और प्रचलित परंपरा या रूढ़ि के अनुसार शिष्ट और यथासमय अंतिम संस्कार का अधिकार होगा।

अध्याय-3

मृतक के कुटुंब सदस्यों के दायित्व

4. कुटुंब सदस्यों द्वारा मृतक का अंतिम संस्कार संपादित किया जाना.- मृतक के कुटुंब सदस्यों द्वारा, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अंतिम संस्कार यथासंभव शीघ्र किया जाये, जब तक कि निकट संबंधियों के पहुंचने में विलंब के कारण, चिकित्सा-विधिक कारणों से या किसी अन्य आपवादिक कारण से ऐसा नहीं किया जाना आवश्यक नहीं हो।

5. कुटुंब सदस्यों द्वारा मृत शरीर का कब्जा लेना.- इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधित विधिक प्रक्रिया के सम्यक् अनुपालन के पश्चात्, कुटुंब सदस्य मृत शरीर को, पुलिस या किसी अन्य लोक प्राधिकारी या अस्पताल प्रशासन द्वारा सौंपे जाने पर, कब्जे में लेंगे।

6. मृत शरीर का उपयोग विरोध करने के लिए नहीं किया जाना.- कुटुंब सदस्य मृत शरीर का उपयोग विरोध करने के लिए नहीं करेगा या ऐसा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को सहमति नहीं देगा।

अध्याय-4

पुलिस अधिकारी और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां

7. मृत शरीर को कब्जे में लेने की पुलिस अधिकारी की शक्ति.-
1) जब कभी पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी निजी जानकारी से या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण रखता है और लिख लेता है कि विधिविरुद्ध जमाव या कुटुंब सदस्यों द्वारा किसी मृत शरीर का उपयोग विरोध करने के लिए किया जा रहा है या उपयोग किये जाने की संभावना है, तो वह मृत शरीर को अपने कब्जे में लेगा और इस आशय की सूचना संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक को तत्काल भेजेगा।

2) पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मृत शरीर को अपने कब्जे में लेने के पश्चात्, उसे शव परीक्षा के लिए, यदि ऐसा आवश्यक हो, सरकार द्वारा प्राधिकृत निकटतम अस्पताल में भेजेगा।

8. कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्ति.- 1) धारा 7 के अधीन सूचना प्राप्त होने के पश्चात्, संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऐसी रीति से जैसाकि विहित किया जाये, मृत शरीर के अंतिम संस्कार के लिए मृतक के कुटुंब सदस्यों को नोटिस भेजेगा।

2) जब कभी किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि कुटुंब सदस्य, मृत शरीर का अंतिम संस्कार संपादित करने के इच्छुक नहीं हैं, तो वह कुटुंब सदस्यों को, मृत शरीर का चौबीस घंटे के भीतर-भीतर अंतिम संस्कार संपादित करने का सशर्त आदेश प्रदान करेगा:

परंतु, यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि मृत शरीर का अंतिम संस्कार संपादित नहीं करने के लिए कुटुंब सदस्यों के पास पर्याप्त कारण है, तो वह समय बढ़ा सकेगा:

परंतु यह और कि यदि कुटुंब सदस्य मृत शरीर का अंतिम संस्कार संपादित नहीं करते हैं तो अंतिम संस्कार लोक प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

3) जब कभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो कि उसके क्षेत्राधिकार के भीतर, विरोध के लिए कोई विधिविरुद्ध जमाव एकत्र हो गया है या एकत्र होने की संभावना है तो, वह अपनी राय के आधारों का कथन करते हुए, लिखित में आदेश जारी करके, संहिता की धारा 129 से 132 के अधीन विहित शक्तियों का उपयोग कर सकेगा।

अध्याय-5

अदावाकृत मृत शरीर का भंडारण, निपटान और डाटासेट का अनुरक्षण

9. अदावाकृत मृत शरीर का भंडारण.- अस्पताल प्रशासन,-

- (क) अदावाकृत मृत शरीर को क्षय या क्षति से बचाने के लिए अदावाकृत मृत शरीर का सुरक्षित स्थिति में डीप फ्रीजर में, भंडारण करेगा; और
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि लिंग के आधार पर मृत शरीरों को अलग-अलग किया जाये और ढेर लगने

से बचाते हुए गरिमापूर्ण रीति से, जैसाकि विहित किया जाये, रखा जाये।

10. शव परीक्षण की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी.- अभिरक्षा में मृत्यु या अदावाकृत मृत शरीर के प्रत्येक मामले में, मृतक के फोटोग्राफ्स लिये जायेंगे और मृतक के शव परीक्षण की यथाविहित रीति से वीडियोग्राफी की जायेगी।

11. आनुवंशिक डाटा सूचना का संरक्षण.- अदावाकृत मृत शरीर के आनुवंशिक डाटा की सूचना, डीएनए प्रोफाइलिंग द्वारा अभिप्राप्त की जायेगी और इसकी सावधानीपूर्वक और गोपनीय रूप से देखभाल की जायेगी, जो कि अदावाकृत मृत शरीर की पहचान करने के लिए आवश्यक हो सकती है।

12. डाटा बैंक.- राज्य सरकार यथाविहित रीति से अदावाकृत मृत शरीरों का आनुवंशिक (जैनेटिक) डाटा और बायोलॉजिकल सैंपल का भंडारण करने के लिए एक डाटा बैंक स्थापित करेगी।

13. डाटा का डिजिटलाइजेशन.- राज्य सरकार बिना पहचाने गये मृत शरीरों के मृत्यु के मामलों के लिए जिलेवार डिजिटल डाटासेट का संधारण करने के लिए एक वेब पोर्टल बनायेगी। ऐसा डाटा अभिलिखित किये गये मामलों के अनुसार, लापता व्यक्ति के डाटा के साथ मिलान करने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है।

14. सूचना की गोपनीयता.- कोई भी अप्राधिकृत व्यक्ति, मृतक से संबंधित नैदानिक अभिलेखों की कोई भी सूचना, जब तक विधि द्वारा अपेक्षित न हो या यह मृतक के हित में न हो, कलंक लगाने और सामाजिक आलोचना के निवारण के लिए प्रकट नहीं करेगा।

15. अदावाकृत मृत शरीर का निपटान.- जब कोई मृत शरीर अदावाकृत बना रहता है तो, उसका निपटान राजस्थान शारीर अधिनियम, 1986 का अधिनियम सं. 12) के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

अध्याय-6

अपराध और दण्ड

16. **मृत शरीर का कब्जा नहीं लेने के लिए दण्ड.-** कोई कुटुंब सदस्य, जो धारा 5 के उपबंधों के अनुसार मृत शरीर को अपने कब्जे में नहीं लेता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

17. **कुटुंब सदस्य द्वारा विरोध करने के लिए दण्ड.-** कोई कुटुंब सदस्य, जो मृत शरीर का उपयोग विरोध करने के लिए करता है या किसी अन्य व्यक्ति को, विरोध करने के लिए मृत शरीर का उपयोग करने की सहमति देता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, दण्डित किया जायेगा।

18. **कुटुंब सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा विरोध के लिए दण्ड.-** कुटुंब सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति, जो मृत शरीर का उपयोग विरोध करने के लिए करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डित किया जायेगा।

19. **आनुवंशिक (जैनेटिक) डाटा सूचना के प्रकटन और सूचना की गोपनीयता के प्रकटन के लिए दण्ड.-** यदि किसी प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार की जैनेटिक आनुवंशिक) डाटा सूचना और सूचना की गोपनीयता को प्रकट किया जाता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डित किया जायेगा।

20. **दुष्प्रेरण, प्रयत्न या षडयंत्र के लिए दण्ड.-** जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के कारित किये जाने का दुष्प्रेरण,

प्रयत्न या षडयंत्र करता है, तो वह उसी रीति से दण्डित किया जायेगा, मानो उसने स्वयं वह अपराध कारित किया हो।

अध्याय-7

विविध

21. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का लागू होना.- इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के उपबंध इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में लागू होंगे।

22. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना.- इस अधिनियम के उपबंध, सिवाय उस सीमा तक, जहां तक कि इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य विधि के उपबंधों से असंगत न हों, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

23. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए व्यक्तियों का संरक्षण.- इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों या इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।

24. नियम बनाने की शक्ति.- 1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिवस की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई

प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

25. कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति.- 1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत न हों और जो उक्त कठिनाई का निराकरण करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

2) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, उसके इस प्रकार जारी किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

रिट पीटिशन सि विल) 143/ 2001 आश्रय अधिकार अभियान बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अदावाकृत मृत शरीरों के शिष्टतापूर्वक दफन या दाह संस्कार करने के निदेश जारी किये हैं। मानवीय गरिमा, जिसका बर्ताव जीवित मनुष्य के लिए अपेक्षित है, का विस्तार ऐसे व्यक्ति तक भी होना चाहिए जो मृत है, और किसी व्यक्ति के मृत शरीर के शिष्टतापूर्वक दफन या दाह संस्कार करने का अधिकार ऐसी गरिमा के अधिकार का एक भाग माना जाना चाहिये।

चूंकि अन्यायपूर्ण मांगों के लिए विरोध करने की घटनाएं राज्य में बढ़ती जा रही हैं और इस मामले में विद्यमान विधि में कोई पर्याप्त उपबंध नहीं हैं, इसी तरह, अदावाकृत शरीरों का अभिलेख रखना, डीएनए प्रोफाइलिंग और डिजिटाइजेशन के माध्यम से आनुवंशिकजैनेटिक) डाटा सूचना का संरक्षण और सूचना की गोपनीयता रखना वर्तमान समय की आवश्यकता है। यह प्रस्तावित विधि, मृत शरीरों की गरिमा का उपबंध करने के अतिरिक्त, विरोध की बढ़ती प्रवृत्ति के विरुद्ध निवारक के रूप में भी काम करेगी और अदावाकृत शरीरों से संबंधित डाटा के संरक्षण के संबंध में भी काम करेगी।

यह विधेयक पूर्वाक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,

प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड 3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

प्रतिलिपि: संख्या प. 2 26) विधि/ 2/ 2023 जयपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2023

प्रेषक: अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड 3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

वित्तीय जापन

यदि, इस अधिनियम के खण्ड 11,12, और 13 अधिनियमित किये जाते हैं तो, राज्य की संचित निधि में से व्यय अंतर्वलित होगा।

अदावाकृत मृत शरीरों के डाटासेट के सृजन और अनुरक्षण के लिए और डीएनए परीक्षण के लिए उपगत किये जाने वाले आवर्ती व्यय की गणना कर ली गयी है। डाटाबेस के सृजन के लिए इन्टरफेस विकास हेतु और अदावाकृत मृत शरीरों के अनुरक्षण के लिए, लगभग दस लाख रुपये करों और राज कॉम्प इंफो सर्विसेज लि. आरआईएसएल) के सेवा प्रभारों को छोड़कर) और डीएनए परीक्षण के लिए प्रति सैंपल लगभग छह हजार रुपये की आवश्यकता होगी, जो लगभग साठ लाख रुपये प्रतिवर्ष है। इस प्रकार सत्तर लाख रुपये प्रतिवर्ष की आवश्यकता होगी, जिसमें समय के साथ वृद्धि हो सकती है।

इस व्यय के लिए, बजट 2023-24 में समुचित उपबंध प्रस्तावित किया जा रहा है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी जापन

विधेयक के निम्नलिखित खण्ड, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, ऐसे प्रत्येक खण्ड के सामने अंकित मामलों के संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे:-

- | खण्ड | राज्य सरकार के संबंध में नियम) |
|-------------|---|
| 2छ) | समय-समय पर मृत शरीर का अंतिम संस्कार सम्पादित करने के लिए कोई प्राधिकारी, विहित करना; |
| 81) | वह रीति विहित करना जिसमें मृत शरीर के अंतिम संस्कार के लिए मृतक के कुटुंब सदस्यों को नोटिस भेजा जाये; |
| 9ख) | लिंग के आधार पर शरीरों को अलग करना और ढेर लगने से बचाते हुए गरिमापूर्ण रीति से रखना विहित करना; |
| 10 | वह रीति, जिससे मृतक के फोटोग्राफ्स लिये जायेंगे और मृतक के शव परीक्षण की वीडियोग्राफी की जायेगी, विहित करना; |
| 12 | वह रीति, जिससे अदावाकृत मृत शरीरों के आनुवंशिकजैनेटिक) डाटा और बायोलाजिकल सैंपल का भंडारण करने के लिए एक डाटा बैंक स्थापित किया जायेगा, विहित करना; |
| 241) | इस अधिनियम के उपबंधों को सामान्यतः कार्यान्वित करना। |

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

Bill No.19 of 2023

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN HONOUR OF DEAD BODY BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to provide honour to dead body and uphold its basic human rights in the State of Rajasthan and matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER-I**Preliminary**

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Honour of Dead Body Act, 2023.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) “Code” means the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974);

(b) “dead body” means the body of a dead human being;

(c) “District Superintendent of Police” means the police officer in charge of a Police District and includes Deputy Commissioner of Police in a Metropolitan Area;

(d) “family members” means any members who is related to deceased by consanguinity, marriage or through a relationship in the nature of marriage, adoption or any family member living together as joint family;

(e) “last rites” means the disposal of dead body as per the tradition or custom of the community or religion to which the deceased belonged;

- (f) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (g) “Public Authority” means an authority as may be prescribed by the State Government, from time to time, for performing the last rites of the dead body;
- (h) “remonstration” means raising demands or baiting for pursuing any demands to prevent the last rites of a dead body by way of any protest, disobedience, agitation, provocation etc.;
- (i) “rules” means the rules made under this Act; and
- (j) “State” means the State of Rajasthan.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860), The Rajasthan Police Act, 2007 (Act No. 14 of 2007) and The Rajasthan Anatomy Act, 1986 (Act No. 12 of 1986) shall have the meaning respectively assigned to them in those Codes/Acts.

CHAPTER-II

Rights of Dead Person

3. Right to last rites.- Without prejudice of any other law for the time being in force, every dead person shall have the right to a decent and timely last rites according to the known and prevailing tradition or custom of the community or religion, as soon as possible.

CHAPTER-III

Liabilities of Family Members of the Deceased

4. Family members to perform last rites of the deceased.- The family members of the deceased to ensure that the last rites are performed as soon as possible, unless the same is warranted for on account of delay in arrival of the next of kin, any medico-legal reasons or any other exceptional reason.

5. Family members to take possession of the dead body.- Family member shall take possession of the dead body when handed over by the police or any other public authority or hospital administration, after due compliance of legal procedure provided under this Act or any other law for the time being in force.

6. Dead body not to be used for remonstrations.- The Family member not to, use the dead body for remonstrations or give consent to any other person for the same.

CHAPTER-IV

Powers of Police Officer and Executive Magistrate

7. Power of Police officer to take possession of the dead body.- (1) Whenever an Officer-in-charge of the Police Station has reason to believe from personal knowledge or otherwise and taken down in writing that any dead body is being used or likely to be used by unlawful assembly or family members for remonstrations, he shall take possession of the dead body and information to this effect, shall be sent immediately to the concerned Executive Magistrate and District Superintendent of Police.

(2) After taking possession of the dead body, the Officer-in-charge of the Police Station shall send the body to the nearest Hospital authorized by the Government to conduct post mortem examinations; if so warranted.

8. Power of Executive Magistrate.- (1) The concerned Executive Magistrate, after receiving the information under section 7 shall send the notice, in the manner as may be prescribed, to the family members of the deceased for the last rites of the dead body.

(2) Whenever an Executive Magistrate is satisfied on a report of a police officer that the family members are not willing to perform the last rites of the dead body, he shall make a conditional order to the family members to perform the last rites of the dead body within 24 hours:

Provided that the Executive Magistrate may extend the time if he is satisfied that family members have sufficient cause for not performing the last rites of the dead body:

Provided further that if the family members do not perform the last rites of the dead body, the last rites shall be performed by the Public Authority.

(3) Whenever the Executive Magistrate has reason to believe that, an unlawful assembly has gathered or is likely to be gathered for remonstrations, within his jurisdiction, he may use the power prescribed under section 129 to 132 of the Code, by issuing an order in writing, stating the grounds of his opinion.

CHAPTER-V

Storage, Maintenance of Dataset and Disposal of Unclaimed Dead Body

9. Storage of unclaimed dead bodies.- The hospital administration shall,-

- (a) store the unclaimed dead body under safe conditions in the deep freezer to prevent any decay or damage to the dead body; and
- (b) ensure that the bodies are segregated based on gender and are kept in a dignified manner by avoiding piling up as may be prescribed.

10. Videography and Photography of post-mortem examination.- In every case of custodial death or unclaimed dead body, photographs of the deceased shall be taken and post mortem examination of the deceased shall be videographed in the manner as may be prescribed.

11. Protection of Genetic Data Information.- *The Genetic Data Information of unclaimed dead body shall be obtained through DNA profiling and must be handled carefully and confidentially as the same may be required to trace the identity of the unclaimed dead bodies.*

12. Data bank.- *The State Government shall establish a data bank to store the genetic data and biological samples of the unclaimed dead bodies in the manner as may be prescribed.*

13. Digitalization of data.- *The State Government shall create a web portal to maintain a district wise digital dataset of death cases for unidentified dead bodies. Such data can be used to tally with the missing person data as per the cases recorded.*

14. Confidentiality of Information.- No unauthorized person shall disclose any information of clinical records related to the deceased to prevent stigmatization and social criticism unless required by the law or it is in the interest of deceased.

15. Disposal of unclaimed dead body.- When a dead body remains unclaimed, the disposal shall be made in accordance with the provisions of the Rajasthan Anatomy Act, 1986(Act No.12 of 1986).

CHAPTER-VI

Offences and Punishments

16. Punishment for not taking possession of dead body.- Any family member, who does not take possession of the dead body as per the provisions of section 5, shall be punished with imprisonment for a term, which may extend to one year or with fine or with both.

17. Punishment for remonstrance by family member.- Any family member, who uses the dead body for remonstrance or gives consent to any other person for using the dead body for remonstrance, shall be punished with imprisonment for a term, which may extend to two years and with fine.

18. Punishment for remonstrance by any person, other than family member.- For any person, other than family members, who uses the dead body for remonstrance, shall be punished with imprisonment for a term, which shall not be less than six months, but which may extend to five years and with fine.

19. Punishment for Disclosure of Genetic Data Information and Confidentiality of Information.- If any authorized person or persons, discloses any kind of Genetic Data Information and Confidentiality of Information, shall be punished with imprisonment for a term, which shall not be less than three years, but which may extend to ten years and with fine.

20. Punishment for abetment, attempt or conspiracy.- Whoever abets, attempts or conspires to commit an offence under this Act shall be punished in the same manner as if he had himself committed that offence.

CHAPTER-VII

Miscellaneous

21. Application of the Code of Criminal Procedure, 1973.- Save as otherwise provided in this Act, the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) shall apply to the proceeding under this Act.

22. Act to be in addition to any other law.- The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force except to the extent the provisions of other laws are inconsistent with the provisions of this Act.

23. Protection of persons acting in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceedings shall be instituted against any

person for anything which in good faith is done or intended to be done under this Act or rules made thereunder the provisions of this Act.

24. Power to make rules.- (1) The State Government may make rules for carrying out the purpose of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which they are so laid, or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modifications in any of such rules, or resolves that any such rule should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(3) Every rule made under this Act shall be published by the State Government in the Official Gazette.

25. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with this Act, as it deems necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after expiry of three years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every notification issued under this section shall, as soon as may be after it is issued, be laid before the House of State Legislature.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) 143/2001 Ashray Adhikar Abhiyan V/s Union of India issued directions for decent burial or cremation of the unclaimed dead bodies. Human dignity with which living human being is expected to be treated, should also be extended to a person, who is dead and the right to accord decent burial or cremation to the dead body of a person, should be taken to be a part of the right to such dignity.

Since the incidents of remonstrations for unjustified demands are increasing in the State and in this matter there are no adequate provisions in the existing law, likewise, to keep a record of unclaimed bodies, protection of genetic data information through DNA profiling and digitization and confidentiality of information are need of the hour. This proposed law, apart from providing dignity to dead bodies, will also work as deterrent against rising trend of remonstrations and also work towards protection of data relating to unclaimed bodies.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड 3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

प्रतिलिपि: संख्या प. 2 26) विधि/ 2/ 2023 जयपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2023
प्रेषक: अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड 3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 11,12 and 13 of the Bill, if enacted shall involve expenditure from the Consolidated Fund of the State.

Recurring expenditure to be incurred for the creation and maintenance of dataset for unclaimed dead bodies and for DNA examination have been computed. For development interface for creation of data base and maintenance for unclaimed dead bodies, an approximate recurring expenditure of ten lakh rupees (excluding taxes and Raj Comp Info Services Ltd.(RISL) service charges) and approximately six thousand rupees per sample will be required for DNA examination, which is about sixty lakh rupees per annum. Thus seventy lakh rupees shall be required per annum, which may grow with time.

For this expenditure an approximate provision is being proposed in budget 2023-24.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED
LEGISLATION**

Following clauses of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules with respect to matters noted against each such clause:-

Clauses	With respect to State Government (Rules)
2(g)	prescribing from time to time an Authority for performing the last rites of the dead body;
8(1)	prescribing the manner in which the notice to be sent to the family members of the deceased for the last rites of the dead body;
9(b)	prescribing that the bodies are segregated based on gender and are kept in a dignified manner by avoiding piling up;
10	prescribing the manner in which photographs of the deceased shall be taken and post mortem examination of the deceased shall be videographed;
12	prescribing the manner in which a data bank to store the genetic data and biological samples of the unclaimed dead bodies shall be established; and
24(1)	generally carrying out the provisions of this Act.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

Bill No. 19 of 2023

THE RAJASTHAN HONOUR OF DEAD BODY BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to provide honour to dead body and uphold its basic human rights in the State of Rajasthan and matters connected therewith and incidental thereto.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Principal Secretary.

(Ashok Gehlot, **Minister-Incharge**)

राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान राज्य में मृत शरीर का सम्मान और उसके मूल मानव अधिकारों को बनाये रखने और उनसे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री)